न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

अनुसूचि 14 – फारम संख्या 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.............................. से .... तक

जिला–बोकारो, **वाद संख्या–01/2016–17**

विश्वनाथ महतो एवं अन्य बनाम् मुन्सी महतो एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के स
1	2	3

15/02/23

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदकगण विश्वनाथ महतो एवं अन्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड को जनसंवाद में समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है।

इस वाद में प्रथम पक्ष :– 1.विश्वनाथ महतो
2.रमेश महतो
3.कुलदीप महतो
4.रीतवरण महतो
} पिता–स्व0 चामु महतो

स्थायी ग्राम+पो0+थाना–पेटरवार, जिला–बोकारो।
वर्तमान पता–ग्राम–फुटलाही उर्फ बेन्दोटांड,
पो0+थाना–कसमार, जिला–बोकारो।

इस वाद में द्वितीय पक्षः– 1.मुन्सी महतो
2.मनसु महतो
3.गनसु महतो
} तीनों पिता–धर्मनाथ महतो

निवास ग्राम–गागी,
पो0+थाना–पेटरावार, जिला–बोकारो।

विवादित भूमि का विवरण निम्नवत हैः–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
गागी	03	99	0.22ए0

अपीलार्थीगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित आवेदन में उल्लेख है कि, वो पेटरवार प्रखण्ड के स्थायी निवासी है, किन्तु वर्तमान में मजबूरन फुटलाही ग्राम में अपने नानी घर में निवास कर रहे है, जो कसमार प्रखण्ड अंतर्गत आता है। आगे उल्लेखित करते है कि, उनकी खतियानी जमीन मौजा–गागी, खाता सं0–03, प्लॉट सं0–99, कुल रकवा–0.22ए0 भूमि स्थित है। वर्णित भूमि उनके पूर्वज (परदादा) मनशा कुर्मी एवं लोबिन कुर्मी (उर्फ लेवना कुर्मी) के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है, जिसे कभी भी न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु उक्त भूमि की जाली कागजात बनाकर द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया गया है, जिस कारण अपीलार्थीगण सभी संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर उचित न्याय दिलाने एवं खतियानी रैयत के नाम लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

C.C. 2?5 ... 01/03/23
C.C. 1550 ... 20/03/23

उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष के 1.मुन्सी महतो, 2.मनसु महतो एवं 3.गनसु महतो, सभी पिता–धर्मनाथ महतो को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही कार्यालय पत्रांक–321 ए/रा0, दिनांक–17.06.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अपीलार्थीगण द्वारा समर्पित आवेदन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि, जमीन मौजा–गागी, खाता सं0–03, प्लॉट सं0–99, कुल रकवा–0.22ए0 भूमि को न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा अवैध कागजात बनाकर उसे हड़प लिया गया है, जिसका वर्तमान में उनके नाम से गलत जमाबंदी भी चल रही है, जिसे रद्द कर खतियानी रैयत के नाम से जमबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा, लिखित बहस एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा उल्लेखित की गई है कि, उन्हें मौजा–पोड़दाग, खाता सं0–28, प्लॉट सं0–132, कुल रकवा–0.66ए0 भूमि से संबंधित नोटिस प्राप्त है, तथा नोटिस में अंकित भूमि का उनसे कोई संबंध नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा उनके लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि को युगल महतो द्वारा हड़प लिया गया है, किन्तु इस वाद में युगल महतो के स्थान पर मुन्सी महतो एवं अन्य को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा किया गया है। साथ ही अपीलार्थीगण द्वारा वर्णित भूमि का वाद युगल महतो के विरुद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट) के न्यायालय में विविध वाद सं0–05/2016 के तहत प्रक्रियाधीन है। अतः इस वाद से मुन्सी महतो एवं अन्य को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा पत्रांक–554, दिनांक–08.09.2017 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये जाँ प्रतिवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि, मौजा–गागी, थाना सं0–23 के खाता सं0–23, प्लॉट सं0–96, रकवा–0.81ए0 एवं प्लॉट सं0–99, रकवा–0.22ए0, कुल रकवा–1.03ए0 भूमि रैयती खाते की है। जिसका सर्वे खतियान मो0 ठकनी देवी जौजे गणसा कुरमी वगै0 के नाम से दर्ज है। मौजा–गागी, खाता सं0–23, प्लॉट सं0–99, रकवा–0.22ए0 केवाला सं0–375, दिनांक–07.02.1994 के द्वारा सुशीला देवी, पति–काशीनाथ महतो, सा0–गागी के नाम से खरिदगी भूमि है। नामान्तरण वाद सं0–177/2003–04 के आदेशानुसार पंजी–II के पृष्ठ सं0–106/VIII (पेटरवार) में केवाला

धारी रैयत के नाम से जमाबन्दी कायम है, वो वर्ष 2003–04 तक लगान रसीद निर्गत है।उक्त भूमि पर कुंआ बना हुआ है एवं कृषि कार्य के रुप में जमाबन्दी रैयत का दखल–कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचना एवं प्रक्षम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा, संलग्न दस्तावेजों तथा अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन कर पाया कि, इस वाद में मुन्सी महतो एवं अन्य को मौजा–पोड़दाग, खाता सं0–28, प्लॉट सं0–132, कुल रकवा–0.66ए0 भूमि से कोई संबंध नहीं है। किन्तु अपीलार्थीगण द्वारा आवेदांकित भूमि का मामला रैयती भूमि का है, जिसपर अपीलार्थीगण की जमाबंदी न कायम होकर सुशीला देवी, पति–काशीनाथ महतो का कायम है, तथा आवेदांकित भूमि पर सुशीला देवी, पति–काशीनाथ महतो का कुंआ बना हुआ है तथा कृषि कार्य के रुप में काफी लम्बे समय से प्रतिकूल दखल–कब्जा है, जिससे यह मामला स्पष्ट रुप से स्वत्व का स्थापित होता है। अतः अपीलार्थीगण चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसके साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 00:10:32 -08:00
Location: 192.168.1.35